पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 86 / 2011 तारीख दायर 13.12.2011

अनवान

01. छीतर लाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड उम्र बालिग पेशा कास्त निवासी किशन निवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
02. नाथूलाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड उम्र बालिग पेशा कास्त निवासी किशन निवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
03. कमलेश पुत्र भंवरलाल जाति धाकड उम्र बालिग पेशा कास्त निवासी किशन निवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

वादीगण

–

बनाम

1. चारभुजा मंदिर स्थान देह खातेदार ग्राम किशन निवास तहसील बिजौलिया वादमित्र जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता
2. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0एक्ट
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

–: आदेश :– दिनांक :–28.06.2017

वादपत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है। वादी ने एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार मण्डल स्थित किशन निवास राजस्व ग्राम किशन निवास भूमि आराजी नम्बर

66 रकबा 4 बीधा 16 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी समाप्त की जाकर वादी को वादग्रस्त जायदाद का खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे।

प्रकरण न्यायालय मे पंजिबद्ध कर नियमित सुनवाई कर वर्तमान मे स्टेज बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 विचाराधीन है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि परिपत्र 1992 केवल उन मुर्ति की भूमि पर काबिजदारो के लिये था। जो केवल पुजारी या सेवियत की बहेसियत भूमि का उपयोग कर रहे थे वादिगण न तो मंदिर के पुजारी थे, न सेवियत थे वे तो मुर्ति में कृषि के बदले में लगान या चढावा देते थे इसलिए वे बतोर उपकृषक या सिकमी काश्तकार थे इसलिए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के साथ स्वतः खातेदार हो गये। यह कि राज्य सरकार ने परिपत्र सन 2007 एंव 2011 के द्वारा संबंधित जिलाधीशों को निर्देश दिये की जागीर रिजमसन एक्ट 952 के समय जो खातेदार मूर्ति की भूमि पर काश्त करते है और जो पुजारी या सेवियत नही है उनकी

प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान मे चिन्हित कर पक्षकारान को लोक अदालत के नोटिस जारी किये गये।

प्रकरण मे वादी अधिवक्ता/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई।

शिविर के दौरान प्रतिवादी नम्बर 1 की और से वादमित्र जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण मूलतः चारभूजा जी स्थान देह खातेदार किशन निवास से खातेदारी चाही है जो उक्त धाराओ मे प्राप्त नही होती है। प्रार्थनापत्र का विधिक तौर पर शिविर में ही अवलोकन किया। प्रथमतः प्रकरण क्षैत्राधिकार मे नही होने से पंजिबद्ध होने लायक ही नही है। द्वितीय चारभूजा जी स्थान देह खातेदार किशन निवास के नाम दर्ज भूमि पर दाद पाने के लिये वाद प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत प्रकरण मे वादीया को वादग्रस्त आराजी पूर्व मे न तो आवंटन हुई है न भू प्रबन्ध के दौरान चारभूजा जी स्थान देह खातेदारी की भूमि ही दर्ज हुई है। न किसी अन्य खातेदारान के नाम ही दर्ज हुई हो। प्रकरण प्रारंभ से ही सुनवाई काबिल नही था। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2046 से 2049 की जमाबन्दी में चारभूजा स्थान ग्राम खातेदार भंवर लाल पिता ताराचन्द धाकड आराजी नं0 66 रकबा 4 बीधा 17 बिस्वा दर्ज होकर विशेष कॉलम में परिपत्र क्रमांक प–2 (4)राम/4/90/37 दिनांक 13.12.1991 और से उप शासन सचिव राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा भंवर लाल पिता ताराचन्द धाकड का नाम विलोपित किया गया । चुकि वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार का नाम उक्त परिपत्र से हटाया जाकर चारभूजा स्थान देय खातेदार के नाम से दर्ज अभिलेख है जिससे प्रस्तुत प्रकरण में वादी कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता। प्रकरण मे मेरिट पर भी निर्णय पारित किया जावे तो भी वादीगण किसी प्रकार की दाद प्राप्त नही कर सकते।

ऐसी दशा मे प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। डिक्री मुर्तिब हो ।

आदेश आज दिनांक 28.06.2017 को राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट सदाराम जी का खेडा मे लिखवाया जाकर मजमे आम मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
कैम्प– सदाराम जी का खेडा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जि -भीलवाडा